

## कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया म.प्र. ///कैटीन नीलामी सूचना पत्र///

इस व्यायिक जिला स्थापना दतिया की कैटीन का संचालन नियमित शर्तों के अध्यधीन करने हेतु ठेका दिया जाना है। जिसके संबंध में इस्कुक व्यक्ति अथवा संस्थान दिनांक 10.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे व्यायालय परिसर में उपस्थित होकर कैटीन संचालन के संबंध में खुली बोली/नीलामी में सम्मिलित हो सकते हैं :-

### कैटीन संचालन की शर्तें

- 01 मानवीय उच्च व्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा स्वच्छ व्यायालय अभियान के अन्तर्गत साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
- 02 कैटीन का ठेका जिसका स्वीकृत किया जावेगा उसे ठेके की राशि का 03 माह का किराया एक मुश्त अग्रिम जमा कराना होगा।
- 03 कैटीन किराया प्रतिमाह अग्रिम जमा करना होगा।
- 04 ठेके के किराये की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जिला नाजिर दतिया के पास जमा करानी होगी।
- 05 कैटीन का व्यूनतम मासिक किराया राशि रूपये 12000/- है, उक्त राशि से सबसे अधिक राशि की बोली स्वीकार की जावेगी।
- 06 कैटीन में ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।
- 07 कैटीन संचालन को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर लगाकर पृथक से विद्युत बिल का भुगतान करना होगा।
- 08 कैटीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री अमानक अथवा मिलावटी नहीं होगी, जॉच में यदि खाद्य सामग्री मिलावटी अथवा अमानक पायी जाती है तो कैटीन का ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
- 09 कैटीन में किसी प्रकार के मादक पदार्थ एवं तम्बाकू, गुटखा आदि का विक्रय नहीं किया जावेगा।
- 10 कैटीन ठेके का उपतेका नहीं दिया जा सकेगा।
- 11 कैटीन आवंटन के संबंध में एकमात्र विवेकाधिकार जिला व्यायाधीश दतिया को होगा।
- 12 कैटीन ठेके की अवधि दो वर्ष अथवा आगामी ठेका होने तक की होगी।
- 13 कैटीन ठेका स्वमेव समाप्त करने की दशा में अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।
- 14 कैटीन ठेका में सम्मिलित भाग लेने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला पंजीबद्ध/लंबित नहीं होना चाहिए तथा उसका व्यायालय में कोई सिविल विवाद भी लंबित नहीं होना चाहिए।

Swi/4V  
जिला एवं सत्र व्यायाधीश,  
इ दतिया म.प्र.